भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2245
29 जुलाई, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

औषधीय पौधे

2245. **श्री दुर्गा दास उइके:**
श्री मुकेश राजपूत:
श्री वी.के. श्रीकंदन:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्री विवेक नारायण शेजवलकर:
श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:
डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्राकृतिक और जंगली औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या भविष्य में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित जिला स्तर पर औषधीय पादप संरक्षण केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने और औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की खेती के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय वर्तमान में पूरे देश में "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन की केंद्रीय क्षेत्रक योजना" का कार्यान्वन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य वन विभाग को औषधीय पादपों/जड़ी-बूटियों के उनके प्राकृतिक पर्यावास में संरक्षण के लिए औषधीय पादप संरक्षण एवं विकास क्षेत्रों (एमपीसीडीए) की स्थापना के रूप में परियोजना आधारित सहायता प्रदान की जाती है। देश में समर्थित औषधीय पादप संरक्षण और विकास क्षेत्रों (एमपीसीडीए) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **संलग्नक** में दी गई है।

(ख): आयुष मंत्रालय के पास भविष्य में जिला स्तर पर औषधीय पादप संरक्षण केंद्र स्थापित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ): आयुष मंत्रालय अपनी आईईसी योजना के तहत पूरे देश में नागरिकों में जागरूकता के लिए आरोग्य मेलों/मेलों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों का आयोजन करके और इलेक्ट्रॉनिक, मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया अभियान के माध्यम से प्रचार करके आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार और प्रसार के लिए पहल करता है।

एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय अपनी "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन की केंद्रीय क्षेत्र योजना" के अंतर्गत देश में औषधीय पादपों और जड़ी-बूटियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को पौधशालाओं की स्थापना और औषधीय पादपों/जड़ी-बूटियों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री (क्यूपीएम) का विकास करने के लिए परियोजना आधारित सहायता प्रदान करता है। योजना के तहत उत्तम कृषि पद्धतियों (जीएपी) और फसलोपरांत प्रबंधन (पीएचएम) पर प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

*****

संलग्नक

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की "केंद्रीय क्षेत्र योजना" के तहत समर्थित औषधीय पादप संरक्षण और विकास क्षेत्रों (एमपीसीडीए) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या।

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**समर्थित एमपीसीडीए की संख्या**
1.	गुजरात	13
2.	हरियाणा	02
3.	हिमाचल प्रदेश	05
4.	जम्मू और कश्मीर	03
5.	कर्नाटक	12
6.	महाराष्ट्र	15
7.	मध्य प्रदेश	11
8.	मणिपुर	03
9.	मिजोरम	06
10.	नागालैंड	07
11.	ओडिशा	01
12.	राजस्थान	02
13.	सिक्किम	04
14.	त्रिपुरा	05
15.	तमिलनाडु	08
16.	उत्तराखंड	01
17.	पश्चिम बंगाल	07
	कुल	**105**